

THIS DRAWING ENCLOSED
WITH UNIT LETTER NO.
F-7/10/16/19-20 DATED
26/12/24

ग्राम रामनगर के अन्तर्गत खसरा नं० 492
के पट्टे 299 खसरा नं० 493 के
पट्टे का प्लाट अंशोभा 299 खसरा नं० 493
पुर्ण से भाग के अंशोभा विवरण
A++ से E++ तक अंशोभा किया
गया है।

नोट :-

योजना के आंतरिक विकास के पट्टे
विशेषाधिकार 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में
क्यावलय पत्र क्रमांक एच-7/डीपी (2024/
2027-दिनांक 04/06/24) द्वारा योजना
में पूर्व में आरक्षित भूखण्ड नं० 82 से 89
कुल भूखण्ड 08 क्षेत्रफल 15913 वर्गफीट
के स्थान पर भूखण्ड नं० 1 से 16 कुल
भूखण्ड 16 क्षेत्रफल 16750 वर्गफीट
आरक्षित किए जाते हैं, जिसे आरक्षण रंग से
दर्शाया गया है। साथ ही पूर्व में आरक्षित
भूखण्ड नं० 82 से 89 कुल भूखण्ड 08
क्षेत्रफल 15913 वर्गफीट को आरक्षित से
मुक्त किया जाता है।

12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्ड को खन
रखे जाने हेतु मॉनेट डीड संपादित कराया।
उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने
के उपरान्त विद्यमानुसार मुक्त किये जा
सकेगे।

नगर विकास विभाग, कोटा

**PROPOSED LAY OUT PLAN OF
BURHANI PARK-II
VILLAGE :RAMNAGAR,
TEH.-LADPURA,
DIST.KOTA(RAJ.)
KHASRA NO.: 492(PART),493 (PART)**



APPLICANT NAME

SCALE:1"=70'

SCHEME TOTAL AREA :-1.80 HECT.

AREA DETAIL(KHASRA WISE)

S.NO.	KH.NO-	AREA HECT	
		TOTAL AREA IN KHASRA	SCHEME AREA IN KHASRA
1.	PART OF KH.NO.492	0.24	0.16
2.	PART OF KH.NO.493	2.03	1.64

**TOTALSCHEME AREA:- 1.80 HECT.
=18000 SQ.M.
=193680 SQ.FT**

LAND USE ANALYSIS

S.NO.	PARTICULAR	AREA SQ.FT.	AREA %
1.	RESIDENTIAL	111677.00	57.66 %
2.	I.C.	4506.0	2.33 %
3.	TOWER / DAMPING	759.0	0.39%
4.	PARK	10558	5.46 %
5.	ROAD	66180.00	34.16 %
TOTAL AREA		193680	100.00 %

**KHASRA BOUNDARY
SHOWN THUS**

SIGNATURE

OWNER/ PRESIDENT/ SEC.
NAME/ ADDRESS

नोट :-

योजना के आंतरिक विकास के पट्टे
विशेषाधिकार 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में
भूखण्ड नं० 82 से 89 कुल भूखण्ड 8
क्षेत्रफल 15913 वर्गफीट आरक्षित किये
जाते हैं, जिसे रंग से दर्शाया गया है।
12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्ड को खन रखे
जाने हेतु मॉनेट डीड संपादित कराया। उक्त
भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के
उपरान्त विद्यमानुसार मुक्त किये जा सकेंगे।

नगर विकास विभाग, कोटा

ले-आउट प्लान संमति की बैठक दिनांक 28/04/2016 में लिये गए
पट्टे (नं० 607/493) ग्राम रामनगर क्षेत्रफल 18000 वर्गमीटर
(Mark A" to E")

ले-आउट प्लान संमिति की बैठक दिनांक 28/04/2016 में लिये गए
निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन किया
जाता है -

Residential	I.C.	Tower/Damping
111677 वर्गफीट 57.66 प्रतिशत	4506 वर्गफीट 2.33 प्रतिशत	759 वर्गफीट 0.39 प्रतिशत
Park	Road	Total
10558 वर्गफीट 5.46 प्रतिशत	66180 वर्गफीट 34.16 प्रतिशत	193680 वर्गफीट 100 प्रतिशत

- (1) पूर्ण सड़क का आभाषिकार न्यूनतम 100 फीट रखा जावे।
- (2) टउनशिप पॉलिसी-2010 की पालना सुनिश्चित की जावे।
- (3) योजना में न्यूनतम 5 प्रतिशत पार्क एवं पीवू रखा जावे।
- (4) ले-आउट प्लान में दर्शित EWS/LIG भूखण्डों का निष्पादन मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार किया जाना होगा।
- (5) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत टउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार तकमिने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमिनी का न्यास की अभिलेखिकी शाखा से अनुमोदन उपरान्त तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
- (6) नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.3(77) नंविधि/3/2009 पार्ट IV जयपुर दिनांक 4/4/19 की पालना अपेक्षित है।
- (7) नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 10/08/2020 के अनुसार प्रावधान रखे जाने होंगे।
- (8) उक्त ले-आउट का RERA में पंजीयन करवाया जावे।

नगर विकास विभाग, कोटा

नगर विकास विभाग, कोटा